1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर

उनवान संख्या 17 / 2021 | तारीख दायरा 16.03.2021

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

1. शांती देवी उम्र 73 वर्ष पुत्री छोटूराम पत्नि चन्द्रराम जाति जाट निवासी ढाणी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज हाल आबाद हुकासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।
2. लाली देवी उम्र 71 वर्ष पुत्री छोटूराम पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी ढाणी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज हाल आबाद हरसावा बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज ।

वादीगण

बनाम

1– सोहनराम (फोत)
1 (क)– मूलचन्द उम्र 50 वर्ष
1 (ख)– राजू उम्र 47 वर्ष पुत्रगण सोहनराम समस्त जाति जाट निवासी ढाणी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज
2– तहसीलदार महोदय फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज

प्रतिवादीगण

वाद बाबत उदघोषणा

उपस्थित अधिवक्ता वादी – श्री राजेश गोस्वामी, सीमा शर्मा, दिनेश नागौरा

उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण– श्री सुधीर धोलपुरिया

दिनांकः 29.01.2025

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम – दांतरू तहसील फतेहपुर में काश्त भूमिया ख. न. 243 रकबा 0.8800 हे., ख. न. 243 रकबा 0.8800 हे०, ख.न. 244 रकबा 2.7900 हे0, ख.न. 316 रकबा 1.7100 हे0 तथा ख.न. 318 रकबा 1.5200 हे0 स्थित है जिसे वादपत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया जावेगा।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 एक ही खानदान के व्यक्ति है जिसका सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

छोटूराम (फोत)

1. सोहनराम 2. शांतीदेवी 3. लालीदेवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 [illegible] पैतृक अविभाजित आराजियात है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 अपने पूर्वजो के समय से लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 ने मौके पर काश्त कर रखी है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

विवादित आराजियात वादीगण की पैतृक आराजियात होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान रूप से हक हिस्सा निहीत है जिसमें वादीगण का 1/3–1/3 हक हिस्सा तथा इसी प्रकार प्रतिवादी स. 1 का भी 1/3 हक हिस्सा निहीत होने से वादीगण विवादित आराजियात में अपना अपना हिस्सा उदघोषित करवाकर राजस्व अभिलेखो में अंकन करवाने का अधिकारी है।

विवादित आराजियात में वादीगण का प्रतिवादी स. 1 के साथ समान रूप से हक हिस्सा निहीत होने के बावजूद वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी स. 1 ने प्रतिवादी स. 2 के अधिनस्थ कर्मचारियो से मिलकर विवादित आराजियात में खातेदार छोटूराम की जगह विरासत के आधार पर एक मात्र अपना नाम राजस्व अभिलेखो में नामान्तरण दर्ज करवा लिया जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव वादीगण के अधिकारो पर नहीं है तथा वादीगण विवादित आराजियात में अपना नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा कहा की वे विवादित आराजियात की खातेदारी वादीगण के हिस्सेवार राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवा देवे जिस पर प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे पिछले 5 रोज से स्पष्ट रूप से मना करने पर यह वाद लाना आवश्यक हुआ यही वाद कारण है।

प्रतिवादी सं. 2 लोकपदाधिकारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुति से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद की प्रकृति को देखते हुए वाद प्रस्तुति हेतु अलग से 80(2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद बाबत उदघोषणा 2/–रू० के न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण / प्रार्थीगण है

(क) कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र की धारा 1 में अंकित काश्त भूमिया ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर में काश्त भूमिया ख. न. 243 रकबा 0.8800 हे., ख. न. 243 रकबा 0. 8800 हे०, ख.न. 244 रकबा 2.7900 हे०, ख.न. 316 रकबा 1.7100 हे० तथा ख.न. 318 रकबा 1.5200 हे0 स्थित है में प्रतिवादी स. 1 की खातेदारी निरस्त किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी स. 1 को समान रूप से खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावे।

(ख) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने की अधिकारी है उसको दिलवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की [illegible] प्र[illegible] संख्या 1 (1) की ओर से श्री सुधिर धोलपुरिया एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवा[illegible] 1(2) 2 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible] में लाई गई। प्रतिवादी संख्या (1) की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या (1) की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश करने पर प्रकरण में तनकी कायम किये [illegible] की आवश्यकता नहीं होने पर तनकी कायम नहीं की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

सशपथ बयान गवाह शांती देवी (पीडब्ल्यू 1) के पेश हुए। गवाह शांति देवी द्वारा प्रस्तुत बयान का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर में काश्त भूमिया ख. न. 243 रकबा 0. 8800 हे., ख. न. 243 रकबा 0.8800 हे0, ख.न. 244 रकबा 2.7900 हे०, ख.न. 316 रकबा 1.7100 हे० तथा ख.न. 318 रकबा 1.5200 हे0 स्थित है शपथग्रहीता एवं प्रतिवादी स. 1 एक ही खानदान के व्यक्ति है जिसका सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

छोटूराम (फोत)

1. सोहनराम | 2. शांतीदेवी | 3. लालीदेवी

उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 की पैतृक अविभाजित आराजियात है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 अपने पूर्वजो के समय से लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी शपथग्रहीता व वादी स. 2 एवं प्रतिवादी स. 1 के विधिक वारिसान ने मौके पर काश्त कर रखी है। उक्त आराजियात वादीगण की पैतृक आराजियात होने से वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 का समान रूप से हक हिस्सा निहीत है जिसमें वादीगण का 1/3–1/3 हक हिस्सा तथा इसी प्रकार प्रतिवादी स. 1 के विधिक वारिसान का भी 1/3 हक हिस्सा निहीत होने से वादीगण उक्त आराजियात में अपना अपना हिस्सा उदघोषित करवाकर राजस्व अभिलेखो में अंकन करवाने का अधिकारी है। उक्त 'आराजियात में वादीगण का प्रतिवादी स. 1 के साथ समान रूप से हक हिस्सा निहीत होने के बावजूद वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी स. 1 ने प्रतिवादी स. 2 के अधिनस्थ कर्मचारियो से मिलकर उक्त आराजियात में खातेदार छोटूराम की जगह विरासत के आधार पर एक मात्र अपना नाम राजस्व अभिलेखो में नामान्तरण दर्ज करवा लिया जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव वादीगण के अधिकारो पर नही है तथा वादीगण उक्त आराजियात में अपना नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी है।

सशपथ बयान गवाह लाली देवी (पीडब्ल्यू 2) के पेश हुए। गवाह लाली देवी द्वारा प्रस्तुत बयान का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर में काश्त भूमिया ख. नं. 243 रकबा 0. 8800 है, ख, न. 243 रकबा 0.8800 हे०, ख.न. 244 रकबा 2.7900 है०, ख.न. 316 रकबा 1.7100 हे० तथा ख.न. 318 रकबा 1.5200 हे० स्थित है शपथग्रहीता एवं प्रतिवादी स. 1 एक ही खानदान के व्यक्ति है जिसका राजरा खानदान निम्न प्रकार है–

छोटूराम (फोत)

1. सोहनराम | 2. शांतीदेवी | 3. लालीदेवी

उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 की पैतृक अविभाजित आराजियात है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 अपने पूर्वजो के समय से लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग [illegible] में भी शपथग्रहीता व वादी स. 1 एवं प्रतिवादी स. 1 'के विधिक वारिसान ने [illegible]श्त कर रखी है। उक्त आराजियात वादीगण की पैतृक आराजि[illegible] स. 1 का समान रूप से हक हिस्सा निहीत है जिसमें वादी[illegible] इसी प्रकार प्रतिवादी स. 1 के विधिक वारिसान का भी [illegible] वादीगण उक्त आराजियात में अपना अपना हिस्सा उदघोषित करवाकर राजस्व अभिलेखो [illegible]ंकन करवाने का अधिकारी है। उक्त आराजियात में वादीगण का प्रतिवादी स. 1 के साथ समान रूप से हक हिस्सा निहीत होने के बावजूद बादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी स. 1 ने प्रतिवादी स. 2 के अधिनस्थ कर्मचारियो से मिलकर उक्त आराजियात में खातेदार छोटूराम की जगह विरासत के आधार पर एक मात्र अपना नाम राजस्व अभिलेखो में नामान्तरण दर्ज करवा लिया जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव वादीगण के अधिकारो पर नही है तथा वादीगण उक्त आराजियात में अपना नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

गवाह लाली देवी ने मुख्य परीक्षण पूर्ण किया। जिरह प्रतिवादी शून्य है। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने बाबत निवेदन किये जाने पर साक्ष्यवादी बंद की गयी।

सशपथ बयान गवाह मूलचन्द (डीडब्ल्यू 1) के पेश हुए। गवाह मूलचन्द ने अपने शपथ पत्र में दर्ज किया कि वादपत्र में अंकित काश्त भूमियां हमारी पैतृक काश्त भूमियां है जिसमें मेरे दादाजी की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर मेरे पिताजी सोहनराम व सोहनराम की दो बहने शांति देवी व लाली देवी है, उनका विरासत के आधार पर मेरे पिता के साथ खातेदारी में अंकित नहीं हुआ। इस कारण कि वादीगण की शादी हो चुकी थी तथा नामान्तरण के समय उपस्थित नहीं होने से शपथग्रहिता को नामान्तरण की प्रकिया का ज्ञान नहीं है तथा ना ही शपथग्रहिता को पता है कि उक्त काश्त भूमियों में नामान्तरण कब हुआ। शपथग्रहिता अपने पिता सोहनराम के विधिक वारिसान में है। वादीगण को अगर विधि सम्मत उक्त भूमियों में अगर हिस्सेदारी प्राप्त होती है तब मुझ शपथग्रहिता को कोई आपत्ति नहीं है। जिरह वादी शून्य है। वकील प्रतिवादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने बाबत निवेदन किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार दावा डिक्री हेतु निवेदन किया।

विवादित आराजी पैतृक सिद्ध हो जाने से वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार करने योग्य है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर में काश्त भूमिया ख. न. 243 रकबा 0.8800 हे., ख. न. 243 रकबा 0. 8800 हे०, ख.न. 244 रकबा 2.7900 हे०, ख.न. 316 रकबा 1.7100 हे० तथा ख.न. 318 रकबा 1.5200 हे0 में प्रतिवादी स. 1 की खातेदारी निरस्त की जाकर वादीगण व प्रतिवादी स. 1 को समान रूप से खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास..............दमयन्ती कंवर (आर.ए.एस.)...

1. शांती देवी उम्र 73 वर्ष पुत्री छोटूराम पत्नि चन्द्रराम जाति जाट निवासी ढाणी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज हाल आबाद हुकासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।
2. लाली देवी उम्र 71 वर्ष पुत्री छोटूराम पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी ढाणी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज हाल आबाद हरसावा बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज ।

वादीगण

बनाम

1– सोहनराम (फोत)

1 (क)– मूलचन्द उम्र 50 वर्ष

1 (ख)– राजू उम्र 47 वर्ष पुत्रगण सोहनराम समस्त जाति जाट निवासी ढाणी कल्याणपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज

2– तहसीलदार महोदय फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज

प्रतिवादीगण

वाद बाबत उदघोषणा

मुकदमा नं.....17..............................सन्...2021...

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री राजेश गोस्वामी एडवोकेट................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री सुधीर धोलुपरिया एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर में काश्त भूमिया ख. न. 243 रकबा 0.8800 हे., ख. न. 243 रकबा 0. 8800 हे०, ख.न. 244 रकबा 2. 7900 हे०, ख.न. 316 रकबा 1.7100 हे० तथा ख.न. 318 रकबा 1.5200 हे० में प्रतिवादी स. 1 की खातेदारी निरस्त की जाकर वादीगण व प्रतिवादी स. 1 को समान रूप से खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

निज.........– ....मुबलिग..................–.................. बाबत.................

खर्चा इस मुकदमें के मय शूद बशरह.................–.......................... फैसदी सालाना आज .... से

तरीख अदायगी तक..का अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 ... माह ... 2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत...

मुहर ओहदा........ (दमयन्ती कंवर) उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर-सीकर (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	5		मुतफरिक	–	
मीजान	8			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested